सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/187** दायर दिनांक **14.07.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सन्नु उर्फ अजीत पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द, उम्र–32साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–देवराठी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हालनिवास–जैतपुरा (फुलेरा)।	बनाम्	1. शरीफ पुत्र निजाम, उम्र–49साल, 2. अमीन पुत्र निजाम, उम्र–46साल, 3. बिबलू उर्फ मुन्शी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द भाटी, उम्र–44साल, 4. सुल्तान पुत्र जोमा, उम्र–78साल, 5. जहूरी पुत्री गनी, उम्र–68साल, समस्त,जाति–भाट, निवासी–देवराठी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादी संख्या 03 हाल,निवासी–जैतपुरा (फुलेरा), 6. रामनारायण पुत्र भगवानसिंह, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–अम्बापा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. निजाम खाँ पुत्र सुल्तान खाँ, उम्र–52साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,

अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 03.08.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, शरहद देवराठी पटवार हल्का सूपका में खेत खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा स्थित है। उक्त खसरान् भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

सन्नु को दो नामों से पुकारा जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी को सन्नु व बाकी दस्तावेजात्– राशन–कार्ड, पहचान–कार्ड, आधार–कार्ड आदि में अजीत भाटी दर्ज हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 03 बिबलु के भी दो नाम हैं। राजस्व रिकॉर्ड में बिबलु नाम दर्ज हो रखा है जबकि बाकी दस्तावेजात्– राशन–कार्ड, पहचान–पत्र, आधार–कार्ड आदि में मुंशी भाटी दर्ज हो रखा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 03 के पिता के भी दो नाम हैं, जो राजस्व रिकॉर्ड में सदीक दर्ज है तथा बाकी सभी दस्तावेजात् में मानचन्द दर्ज हो रखा है। इसलिए वादी व प्रतिवादी संख्या 03 को दोनों नामों से ही जाना व पहचाना जाता है।

प्रतिवादी संख्या 05 जहुरी द्वारा दिनांक 14.03.2017 को प्रतिवादी संख्या 07 निजाम खाँ के हक में रकबा 05 बीघा जमीन का रजिस्टर्ड बैचाण कर दिया है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 07 को बतौर प्रतिवादी बनाया गया है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बन्टवारा हो गया है तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में उपर्युक्त खसरान् की भूमि में निम्नानुसार काबिज काश्त है:–

1. <u>वादी सन्नु उर्फ अजीत के बन्ट में आई भूमि–</u>

खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05.10 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

2. <u>प्रतिवादी संख्या 01 शरीफ के बन्ट में आई भूमि–</u>

खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 04.05 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

3. <u>प्रतिवादी संख्या 02 अमीन के बन्ट में आई भूमि–</u>

खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 04.05 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 03 बिबलु उर्फ मुन्शी के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05.10 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

5. प्रतिवादी संख्या 04 सुल्तान के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 08.07 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

6. प्रतिवादी संख्या 05 जहुरी के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 04.03 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

7. प्रतिवादी संख्या 06 रामनारायण के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 10 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

8. प्रतिवादी संख्या 07 निजाम के बन्ट में आई भूमि–

खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा में से नजरीनक्शा अनुसार रकबा 05 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

उपर्युक्त भूमि में से वादी अपने हिस्से में आये हिस्से पर वादी कदीम से काश्त करते आये हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को उक्त भूमि को बैचने की एलानियाँ धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को बैचने में सफल हो गये तो वादी को अपार हानि होगी जिसकी नकदी से क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं होगा।

बिनाय दावा दिनांक 05.07.2017 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचाण करने की धमकी देने एवं दिनांक 06.07.2017 को खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पैदा हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादी है कि–

(क)–वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए उपर्युक्त मौखिक बन्टवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादीग को खातेदार घोषित किया जावे।

(ख)–वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद वर्णित वादी के बन्ट में आई भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी करे न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावे।

(ग)–राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सन्नु उर्फ अजीत भाटी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द किया जावे व प्रतिवादी संख्या 03 का नाम

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड में बिबलु उर्फ मुन्शी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द भाटी दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2071–2074 ग्राम देवराठी खसरा नम्बर 82 व 263 की नकल, परिवार राशन कार्ड संख्या 00039 की छायाप्रति, आधार कार्ड नम्बर 2757 3515 4799 की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड संख्या 00038 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 11.07.2017, आधार कार्ड संख्या 3820 2167 4961 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत थाणू का प्रमाण–पत्र, विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2017 की छायाप्रति, वाद पत्र के साथ पेश है।

प्रतिवादीगण की तरफ से वाद में इकबालिया जवाब पेशहुआ तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारात् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी जिसे पक्षकारान् द्वारा विना किसी लोभ लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मोहम्मद रफीक ने की। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रतिवादीण द्वारा पेश इकबालिया जवाब व वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा के मुताबिक– वाद वर्णित पक्षकारान् मौखिक बन्टवारा व नजरीनक्शा अनुसूची "अ" अनुसार पक्षकारान् ने बन्टवारा चाहा है।

विद्वान अधिवक्तागण की सारगर्भित बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान्, प्रतिवादीण द्वारा पेश इकबालिया जवाब व वादी व प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री सादिर किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। बहस मनन् किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी के दावा अनुसार, पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने में अपनी सहमति देते हैं। पक्षकारान् ने किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होने की मंशा जाहिर की व वादी के चाहे गये अनुतोषानुसार वादी का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया। चूँकि वादी के वाद का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद देवराठी पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 05.10 बीघा भूमि बन्ट का वादी को व रकबा 04.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 04.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को एवं रकबा 08.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद देवराठी पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 04.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "सन्नू पुत्र सदीक" को "सन्नू उर्फ अजीत पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द" तथा प्रतिवादी संख्या 03 का नाम वर्तमान में अंकन "बिबलू पुत्र सदीक" को "बिबलू उर्फ मुन्शी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द भाटी" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **03.08.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक **14.07.2017**

राजस्व वाद संख्याः **2017/187**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सन्नु उर्फ अजीत पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द, उम्र–32साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–देवराठी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हालनिवास–जैतपुरा (फुलेरा)।	बनाम्	1. शरीफ पुत्र निजाम, उम्र–49साल, 2. अमीन पुत्र निजाम, उम्र–46साल, 3. बिबलू उर्फ मुन्शी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द भाटी, उम्र–44साल, 4. सुल्तान पुत्र जोमा, उम्र–78साल, 5. जहूरी पुत्री गनी, उम्र–68साल, समस्त,जाति–भाट, निवासी–देवराठी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादी संख्या 03 हाल,निवासी–जैतपुरा (फुलेरा), 6. रामनारायण पुत्र भगवानसिंह, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–अम्बापा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. निजाम खाँ पुत्र सुल्तान खाँ, उम्र–52साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक **03.08.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, वादी व श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर शरहद देवराठी पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 263 रकबा 22.07 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 05.10 बीघा भूमि बन्ट का वादी को व रकबा 04.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 04.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 को एवं रकबा 08.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शरहद देवराठी पटवार हल्का सूपका में खसरा नम्बर 82 रकबा 24.13 बीघा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित अनुसार, रकबा 05.10 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को व रकबा 04.03 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 10 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 06 को व रकबा 05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 07 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वर्तमान में अंकन "सन्नू पुत्र सदीक" को "सन्नू उर्फ अजीत पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द" तथा प्रतिवादी संख्या 03 का नाम वर्तमान में अंकन "बिबलू पुत्र सदीक" को "बिबलू उर्फ मुन्शी पुत्र सदीक उर्फ भानचन्द भाटी" दुरस्त किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत...................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.08.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner